

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 562]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर, 12, 2013/कार्तिक 21, 1935

No. 562]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 12, 2013/KARTIKA 21, 1935

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2013

सा.का.नि.734(अ).-केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 (1993 का 27) की धारा 17 की उप-धारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें) नियम, 1996 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें) नियम, 1996 के नियम 9 के उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(2) अध्यक्ष या कोई सदस्य जो ऐसे सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति के समय,—

(i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की सेवा में था और ऐसी नियुक्ति से पूर्व जिस सेवा से वह संबंध रखता था उसको लागू होने वाले नियमों के अधीन अपनी पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति फायदों को आहरित करने के लिए उसने विकल्प दिया था; या

(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, किसी स्थानीय निकाय या सरकार के पूर्णतः या सारतः स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी अन्य प्राधिकरण के अधीन सेवा से सेवानिवृत्त हो गया था; या

(iii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय निकाय या सरकार के पूर्णतः या सारतः स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी अन्य प्राधिकरण के अधीन सेवा में नहीं था;

वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) द्वारा का.ज्ञा. सं.1(टी)(2)/2003/टीए/19, तारीख 14 जनवरी, 2004 और 4 फरवरी, 2004 द्वारा लागू नई पेंशन स्कीम के फायदों को स्वीकार करने का हकदार होगा।”

[फा.सं.12015/10/2010-बीसी-II]

गजाला मीनाई, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में सं. सा.का.नि.100(अ), तारीख 13 फरवरी, 1996 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT**(Department of Social Justice and Empowerment)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th November, 2013

G.S.R. 734(E). — In exercise of the powers conferred by Clause (a) of sub-section (2) of Section 17 of the National Commission for Backward Classes Act, 1993 (27 of 1993), the Central Government hereby makes the following amendment to the National Commission for Backward Classes (Salaries and Allowances and other conditions of Service of Chairperson and Members) Rules, 1996.

1. (1) These rules may be called the National Commission for Backward Classes (Salary and Allowances and other conditions of Service of Chairperson and Members) Amendment Rules, 2013.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 9, of the National Commission for Backward Classes (Salaries and Allowances and other conditions of Service of Chairperson and Members) Rules, 1996, for sub-rule (2), the following shall be substituted, namely:—

“(2) The Chairperson or a Member who, at the time of his appointment as such Member,—

- (i) was in service of the Central or State Government and had opted to draw his pension and other retirement benefits under the rules applicable to the service to which he belonged prior to such appointment; or
- (ii) had retired from service under the Central or State Government, a local body or other authority wholly or substantially owned or controlled by the Government; or
- (iii) was not in service of the Central or State Government or a local body or any other authority wholly or substantially owned by the Government;

shall be entitled to be admitted to the benefit of the New Pension Scheme introduced by the Ministry of Finance (Department of Expenditure) *vide* O.M. No.1(T)(2)/2003/TA/19, dated the 14th January, 2004 and 4th February, 2004.”

[F.No.12015/10/2010-BC-II]

GHAZALA MEENAI, Jt. Secy.

Foot Note : The principal rules were published in Gazette of India *vide* number G.S.R. 100(E), dated the 13th February, 1996.